लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
012/2023 (GCMS 2023/37)	02.02.2023	21.02.2023

अनवान

अरविन्द गर्ग पिता सुरेश चन्द्र गर्ग निवासी 18 गर्ग मोहल्ला नगरी, गांव नगरी, जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ से सूचना चाहने हेतु एक आवेदन **RTI** पोर्टल पर दिनांक 10.11.2021 को जरिये ऑनलाइन आवेदन क्रमांक 340453830719629 प्रस्तुत किया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./012/2023(सू.अ.)(21.02.2023)/105 दिनांक 02.02.2023 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 21.02.2023 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 21.02.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने दिनांक 21.02.2023 को स्वयं उपस्थित होकर मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आदिनांक तक उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अतः चाही गई सूचनाऐं उपलब्ध कराने का आदेश प्रदान करावें। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन),

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/16 दिनांक 07.02.2023 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः—

1. यह कि प्रार्थी श्री अरविन्द गर्ग पिता सुरेश चन्द्र गर्ग निवासी 18, गर्ग मोहल्ला नगरी गांव नगरी, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 25.02.2022 को प्राप्त हुआ हैं।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/राजस्व/मूल/196 दिनांक 19.05.2022 से प्राप्त कर प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/184 दिनांक 14.06.2022 से डाक द्वारा भिजवाई जा चुकी हैं।
3. यह कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के संबंध में वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने से अब इस प्रकरण पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती हैं।
4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/16 दिनांक 07.02.2023 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन—मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/184 दिनांक 14.06.2022 से अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गयी हैं। इस पर हाजिर अपीलार्थी ने अवगत कराया कि उसे वांछित सूचना आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई हैं। ऐसी स्थिति में सूचना के अधिकार अधिनियम की भावना को देखते हुए अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना पुनः जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलार्थी को प्रेषित करने हेतु अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित करते हुए अपील अपीलार्थी निस्तारित की जाती हैं।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>21.02.2023</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-SD-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)